

कार्यालय प्राचार्य
शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

रजबंदा मैदान, रायपुर फोन 0771 2222990

क्रमांक/ 3772/जीडीसी/मेटे./2025

रायपुर/दिनांक

15-9-25

कोटेशन सूचना

Quotation Notice

विषय:- महाविद्यालय में स्थापित लिफ्ट की वार्षिक रखरखाव (सी.एम.सी.) किये जाने हेतु कोटेशन (दर) प्रस्तुत करने के संबंध में।

===XX===

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महाविद्यालय में स्थापित लिफ्ट मेक ओटीस 01 नग का वार्षिक रखरखाव (सी.एम.सी.) किया जाना है। उक्त कार्य हेतु पंजीकृत, अधिकृत, एवं अनुभवी फर्म/कंपनी से कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।

इस संदर्भ में वार्षिक रखरखाव की दर सील बंद लिफाफे में दिनांक 19/09/2025 (दिन-सोमवार) शाम 05:00 बजे तक कार्यालय में जमा करे। उक्त दिनांक को यदि कोई सामान्य/सार्वजनिक अवकाश घोषित होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस के शाम 05:00 बजे तक की अवधि मान्य होगी। विलंब से प्राप्त कोटेशन मान्य नहीं की जावेगी।

नियम एवं शर्त:-

1. कोटेशन में जी.एस.टी. अलग से प्रस्तुत किया जावे।
2. लिफ्ट में खराब या बदले जाने वाले पार्ट्स निर्माता कंपनी ओटिस के ही होंगे।
3. बदले जाने वाले पार्ट्स को कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
4. फर्म का पंजीयन होना अनिवार्य है। बिल में जी.एस.टी.एन. अति आवश्यक है।
5. किसी भी फर्म की कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।
6. आपके द्वारा वार्षिक रखरखाव सर्विस ठीक नहीं होने पर वार्षिक रखरखाव कभी भी समाप्त किया जा सकता है। एवं वार्षिक रखरखाव के भुगतान की राशि की वसूली भी संबंधित फर्म से किया जायेगा जिसके जिम्मेदार संबंधित फर्म स्वयं होंगे।
7. वार्षिक रखरखाव की राशि का भुगतान 6-6 माह की अवधि में किया जायेगा जिसमें प्रथम भुगतान 6 माह सर्विस सत्यापन उपरांत तथा अंतिम किश्त अनुबंध समाप्ति पश्चात् सर्विस सत्यापन उपरांत किया जावेगा।
8. वार्षिक रखरखाव के संबंध में सफल निविदाकार फर्म से 100रु मूल्य के गैर-न्यायिक स्टॉम्प पत्र पर इकरारनामा/अनुबंध किया जायेगा।
9. निष्पादित किये जाने वाले अनुबंध में लिफ्ट के वार्षिक रखरखाव संबंधी उच्च गुणवत्ता का कार्य करने, सभी नियम एवं शर्त मान्य होने तथा सी.एम.सी. अवधि 01 वर्ष होने इत्यादि का उल्लेख होगा।
10. सर्विस अवधि के दौरान किसी प्रकार की जान-माल की नुकसान की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी।
11. दर स्वीकृत, अस्वीकृत अथवा कोटेशन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार क्रय समिती/अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा, जिसका कारण बताने के लिए कार्यालय बाध्य नहीं होगा।

Digitally signed by
Dr Virendra Vadher

Date: 15-09-2025

शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर